न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या/2015/08

1. सुभाषचन्द्र
2. प्रकाशचन्द्र
3. रमेशचन्द्र
4. महेशचन्द्र
5. सुरेशचन्द्र
6. राजेश कुमार

पुत्रान् हरिनारायण समस्त जाति महाजन खण्डेलवाल निवासी ग्राम भंमोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामावतार पुत्र स्व0 श्रीनारायण जाति महाजन निवासी मकान नंबर डी–36, शॉपिंग सेंटर, साकेत कोलोनी, आर्दश नगर थाने के पास, जनता कॉलोनी, जयपुर।
2. राधेश्याम पुत्र स्व0 श्रीनारायण जाति महाजन निवासी प्लाट नंबर 22, नन्दपुरी विस्तार, शिवमार्ग, 22 गोदाम, जयपुर।
3. मदनलाल पुत्र स्व0 श्रीनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम भंमोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. मोहनलाल पुत्र स्व0 श्रीनारायण जाति महाजन निवासी प्लाट–9, निर्मोही नगर पुरानी चुंगी के पास अजमेर रोड जयपुर।
5. अशोक कुमार पुत्र स्व0 श्रीनारायण जाति महाजन निवासी मकान नंबर 12/147, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर।
6. सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल जाति महाजन [illegible] ग्राम भंमोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. राजेंद्र प्रसाद
8. अशोक कुमार
9. अनिल कुमार

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:18:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पुत्रान् रामेश्वर जाति महाजन निवासी ग्राम भंमोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

10. रामप्यारी बेवा जगन्नाथ (मृतक नाम हजफ)
11. सीताराम पुत्र जगन्नाथ
12. कैलाशचंद्र पुत्र जगन्नाथ
13. राधामोहन पुत्र जगन्नाथ
14. शांति देवी पुत्री जगन्नाथ
15. कमला देवी पुत्री जगन्नाथ
16. विमला देवी पुत्री जगन्नाथ
17. रामनिवास पुत्र मांगीलाल

समस्त जाति महाजन खण्डेलवाल निवासी ग्राम भंमोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।
19. उपपंजीयक सांगानेर प्रथम, उपपंजीयन कार्यालय सांगानेर, जयपुर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश
39 नियम 1 व 2 व धारा 151 सी0पी0सी0

निर्णय **दिनांकः**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ पेश किया गया कि साबिका खसरा नंबर 309 रकबा 5 बिस्वा खसरा नंबर 310 रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 320 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 321 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 320/763 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा वाकै ग्राम भंमोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमें ओंकार, श्रीनारायण पिसरान गंगाबक्स हिस्सा 1/3, बद्रीनारायण पुत्र रामप्रताप हिस्सा 1/3, जगन्नाथ प्रसाद, हरिनारायण, रामनिवास व सत्यनारायण पिसरान [illegible] हिस्सा 4/15, राजेंद्रकुमार, अशोककुमार व अनिलकुमार पिसरान [illegible] हिस्सा [illegible]/15 दर्ज रिकॉर्ड था। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] खानदान इस प्रकार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:18:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

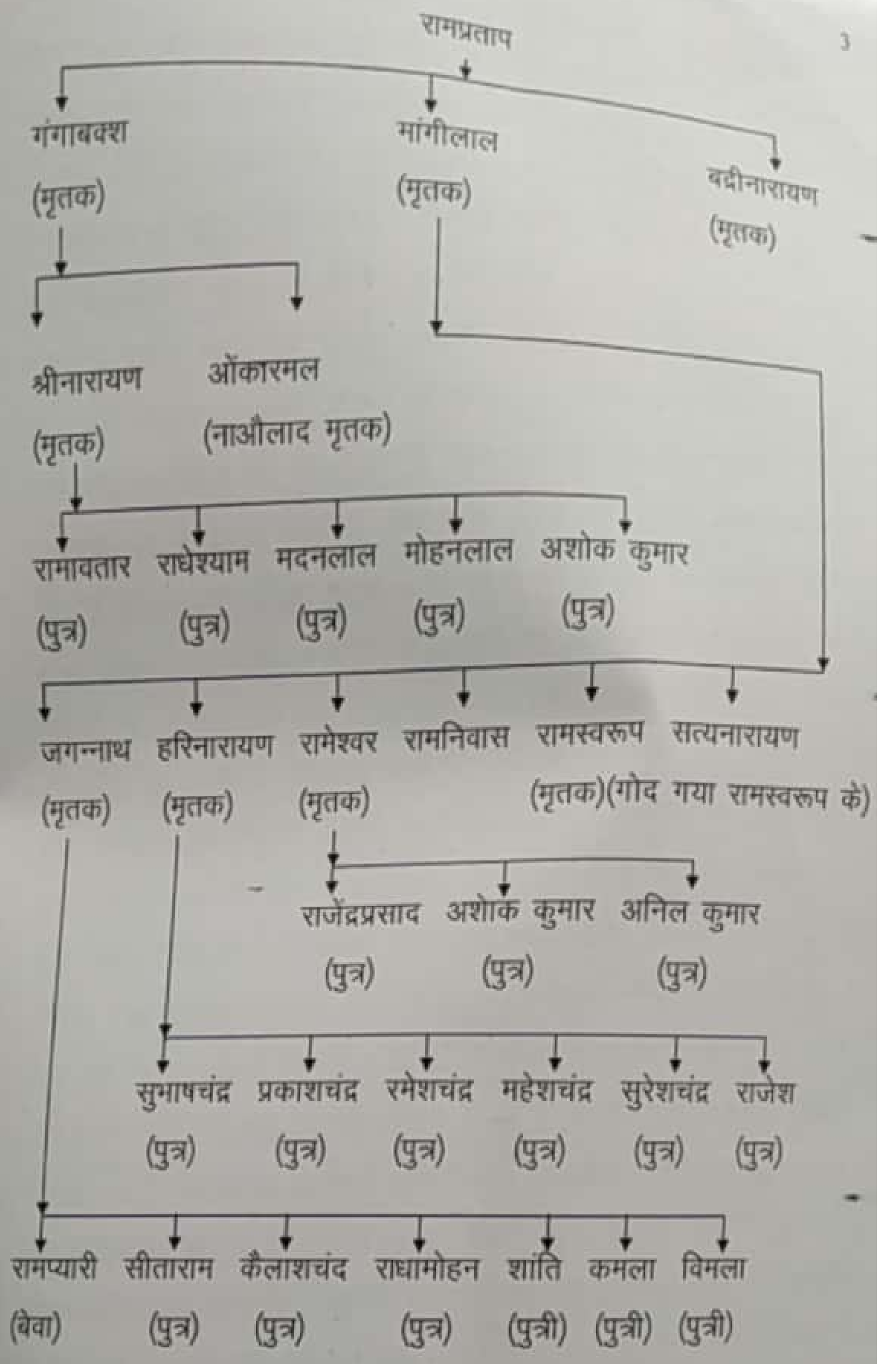

उक्त सजरे में वर्णित बद्रीनारायण पुत्र रामप्रताप का स्वर्गवास ला औलाद हो चुका है तथा इसी प्रकार ओंकार पुत्र गंगाबक्श अविवाहित थे। दोनो पर कर्जा अधिक होने तथा दोनो वृद्वावस्था में होने के कारण कमा न पाने की स्थति में कर्जा चुकाने में असमर्थ थे इस कारण उक्त दोनो ने प्रार्थीगण के पूर्वज हरिनारायण, अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 [illegible] श्रीनारायण, अप्रार्थी संख्या 6, अप्रार्थी संख्या 7 ता [illegible] अप्रार्थी संख्या [illegible] पूर्वज जगन्नाथ व अप्रार्थी संख्या 17 के [illegible] तय किया जिसके मुतालिक पक्षकारान में लिखावट (पारिवा[illegible] समझौते) दिनांक 03.07.68 को अराजी मुतनाजा मुतालिक 1/6, 1/6 हिस्सेदारी दिनांक 24.07.75 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:18:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

लिखावट मकानात के बंटवारे की व दिनांक 19.03.1981 का इकरारनामा/पारिवारिक समझौता कोई तकनीकि बाधा उत्पन्न न हो इसलिये उचित स्टांप पर तहरीर व तकमील कर बरूबरू गवाहान नोटेरी से तस्दीक करवाया गया व जिनकी रूह से पक्षकारो में यह तय हुआ कि उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वज हरिनारायण का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता श्रीनारायण का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 ता 16 पूर्वज जगन्नाथ का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 17 का 1/6 हिस्सा रहेगा और इसी कदर पारिवारिक समझौते की मंशानुरूप ही पक्षकारान् का तय हिस्सानुसार आराजी मुतनाजा पर कब्जा है जिसका उपयोग व काश्त कर लगान अदा करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता श्रीनारायण व अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा उक्त पारिवारिक समझौते के आधार पर वाद नंबरी 415/96 बाबत्– घोषणा व बंटवारा का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान सैटलमेंट कार्यवाही में उपरोक्त साबिका आराजी उक्त के हाल खसरा नंबर 832 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 833 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 834 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 835 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 836 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 840 रकबा 0.65 हैक्टेयर किता 6 कुल रकबा 2.99 हैक्टेयर कायम किये गये। व खातेदारी इंद्राज पूर्व अनुसार ही दर्ज की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता श्रीनारायण की मृत्यु 10.03.2014 को होने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने श्रीनारायण पुत्र गंगाबक्स हिस्सा 1/2 को जरिये विरासती नामांतकरण संख्या 590 दिनांक 20.10.2014 को खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज करवा लिया जबकि समस्त पक्षकारान् उक्त पारिवारिक समझौते अनुसार बंटवारा कर आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त कर उपयोग कर रहे है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 द्वारा ही वाद उनवानी श्रीनारायण (मृतक) व अन्य बनाम ओंकार (मृतक) व अन्य वाद नंबरी 415/96 माननीय न्यायालय में पेश कर रखा है और वाद के विचाराधीन रहते वाद नंबरी 415/96 के प्रार्थीगण (मौजूदा वाद में अप्रार्थी संख्या 1 ता 6) ने ही विरासत का नामांतकरण तस्दीक करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किया है जो गलत है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता श्रीनारायण की मृत्यु 10.03.2014 को होने के बाद श्रीनारायण के वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की नीयत में फितूर आ गया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड में पारिवारिक समझौते के विपरित इंद्राज करा लिया है अब जब आराजी मुतनाजा बेचान कर देना चाहते है जबकि समस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:18:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

पक्षकारान् पारिवारिक समझौते से अबंधित है एस्टोप्ड है। अब अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 पारिवारिक समझौते जो उनके पिता द्वारा किया गया था उससे भी इंकार कर रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी को बेचान की मंशा और अधिक स्पष्ट आम सूचना दिनांक 23.08.2014 से हो गई है जो क्रेता द्वारा अखबार राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित कराई है जिसका खण्डन प्रार्थीगण ने दिनांक 27.08.2014 को यह कहते हुये किया कि वाद नंबरी 415/96 विचाराधीन रहते हुये बेचान, बेचान अनुबंध, अमान्य, अवैध व गलत है। जनवरी 2015 के प्रथम सप्ताह में अप्रार्थीगण की आराजी मुतनाजा के बेचान को लेकर गतिविधिया तेज हो गई है। इस उद्देश्य से अप्रार्थीगण दीगर भू–माफिया लोगो को मौके पर ला रहे है व जमीन दिखा रहे है व राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से रजिस्ट्री कराने की बात कर रहे है इस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि अपने पूर्वजो द्वारा किये गये पारिवारिक समझौते के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करा लेते है इसके बाद बेच देना इस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 बसाज अप्रार्थी संख्या 7 ता 17 और अधिक उग्र हो गये व प्रार्थीगण से कहा कि हम पारिवारिक समझौते को नही मानते और राजस्व रिकॉर्ड में किसी तरह की बाधा उत्पन्न की तो तुम्हारे हिस्से में मजाहमत करेगे व बेदखल कर देगे खरीददार अपने आप कब्जा लेता रहेगा इस पर प्रार्थीगण को पारिवारिक समझौते अनुरूप 1/6 हिस्से की आराजी कब्जेशुदा मुतालिक सुरक्षा व खातेदारी बाबत् सोचना आवश्यक हुआ जिससे वाद कारण पैदा होकर वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बमंजूरे प्रार्थना पत्र दावे के निर्णय तक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 17 को प्रतिबंधित किया जावे कि आराजी खसरा नंबर 832 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नंबर 833 रकबा 1.73 हैक्टेयर, खसरा नंबर 834 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 835 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 836 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 840 रकबा 0.65 हैक्टेयर किता 6 कुल रकबा 2.99 हैक्टेयर वाकै ग्राम भंभोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर का बेचान, हस्तांतरण न करे न प्रार्थीगण के हिस्से पर आराज़ी के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करे न बेदखल करे साथ ही राजस्व रिकॉर्ड व मौके की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखे जिसकी सूचना अप्रार्थी संख्या 18 व 19 को भी प्रेषित की जावे।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात ... के साथ फोटो प्रति जमाबंदी सम्वत् 2070 से 20... ग्राम भंभोरिया ... जिला जयपुर, फोटो प्रति नक्शा खसरा नंबर 320, 321, 309, 310, 230/563 ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:18:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

भमोरिया तहसील सांगानेर, फोटोप्रतिलिपि लिखावट दिनांक 03.07.1968 पेश की जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 से 9, 12, 13, 17 से 19 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब टीआई प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि – वादअधीन भूमि में प्रार्थीगण के दादा का हिस्सा 1/3 दर्ज व अंकित था तथा प्रार्थीगण के दादा के भाई बद्रीनारायण पुत्र रामप्रताप लाऔदाल फौत हो गये जिस कारण उनके हक व अधिकार की भूमि प्रार्थीगण के पिता व मांगीलाल के वारिसान् के हिस्से में 1/3 में हिस्सा 1/2-1/2 जरिये विरासत दर्ज व अंकित हुई। उक्त विरासत के नामांतकरण के पश्चात् वादअधीन भूमि में मिन उत्तरदाता व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 5 का हिस्सा 1/2 व शेष हिस्सा 1/2 प्रार्थीगण व अन्य अप्रार्थीगण का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज व अंकित हुआ। तथाकथित इकरारनामा व पारिवारिक समझौता बनावटी व असत्य होने से अस्वीकार है। वैसे भी उक्त इकरारनामा के आधार पर किसी प्रकार की सुनवाई का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही है अपितु इकरारनामा के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। वादअधीन भूमि पर श्रीनारायण के वारिसान् का हिस्सा 1/2 पर कब्जा काश्त है तथा शेष हिस्सा 1/2 पर मांगीलाल के वारिसान् काबिज काश्त है। प्रार्थी का यह कथन पूर्ण असत्य बनावटी है कि वादअधीन भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण तथाकथित पारिवारिक समझौते के अनुसार काबिज कश्त हो। वादअधीन भूमि पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार श्री नारायण के वारिसान् का हिस्सा 1/2 तथा मांगीलाल के वारिसान् का हिस्सा 1/2 बनता है जिस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्णतः विधि विधान के विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है। मिन उत्तरदाता के पिता द्वारा कभी भी किसी भी प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नही कर वाद प्रस्तुत नहीं किया। बल्कि वास्तविकता तो यह है कि प्रार्थीगण द्वारा गलत विधि विरुद्ध तरीके के आधार पर वाद प्रस्तुत किया था उसमें मिन उत्तरदाता के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके संबंध में मिन उत्तरदाता द्वारा हैण्ड राईटिंग एक्सपर्ट से दिनांक [illegible].2016 को उक्त दावे की व अपने पिता के अन्य हस्ताक्षरों की जांच [illegible] जिसमें स्पष्ट रूप से वाद पर हस्ताक्षर फर्जी व जालसाजी की रिपोर्ट [illegible] हुई है। जिससे स्पष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:18:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

है कि मिन उत्तरदाता के पिता द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नही किया गया, और वह बनावटी व विधि विरूद्व वाद भी दिनांक 27.02.2015 को खारिज किया जा चुका है। उक्त वाद के प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद विड्रा के आधार पर खारिज चाहा परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद बाद में अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज फरमा दिया। उक्त वाद में विड्रो किये जाने के पश्चात् वैसें भी उक्त वाद किसी भी प्रकार से पठनीय योग्य नही होने से माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद भी पूर्णतः विधि विधान के विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है। मिन उत्तरदातागण द्वारा वादअधीन भूमि में पूर्व जमाबन्दी एवं पूर्व नामान्तकरण के आधार पर जो अधिकार प्राप्त हुये थे उसके आधार पर अपने पिता की मृत्यु पर जरिये विरासत का नामान्तकरण संख्या 510 दिनांक 20.10.2014 को पूर्णतः विधि अनुसार दर्ज व अंकित कराया। जिसमें किसी प्रकार से कोई कानूनी प्रावधानो का उल्लघंन नही किया। वादअधीन भूमि में मिन उत्तरदाता के पिता का हिस्सा 1/3 दर्ज व् अंकित था तथा 1/6 हिस्सा अपने चाचा बद्रीनारायण की विरासत में प्राप्त हुआ हैं। ऐसे में तथाकथित समझौतें में हिस्सा 1/6 होने का अंकन किया जाना स्वतः ही विधि विधान के विरूद्व एवं बनावटी स्वंय सिद्व हो जाता है। वादअधीन भूमि पर जो विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया है पूर्णतः विधि अनुसार एवं कानूनी प्रावधानो के अनुसार दर्ज किया गया हैं। ऐसे में प्रार्थी का वाद पूर्णतः विधि विधान के विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होनें एवं पूर्णतः विधि विधान के विरूद्व होने की वजह से सव्यय खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपनी न्यायिक बहस में न्यायिक दृष्टांत 2003 (1) RRT 516, 1996 RRD 148 (LB), 1995 RRD 644, 1995 RRD 764 (B), 1995 RRD 277, 1994 RRD 569 का विवेचन किया। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टांत अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा मूलवाद बाबत् घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा [illegible] पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया [illegible] नारायण पुत्र रामप्रताप व ऑकार पुत्र गंगाबक्श ने [illegible] के लिए [illegible] दोनो ने प्रार्थीगण के पूर्वज हरिनारायण, अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता [illegible]नारायण, अप्रार्थी संख्या

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 15:18:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

6, अप्रार्थी संख्या 7 ता 9, अप्रार्थी संख्या 10 ता 16 के पूर्वज जगन्नाथ व अप्रार्थी संख्या 17 के हित में अपने समस्त अधिकार छोडना तय किया जिसके मुतालिक पक्षकारान में लिखावट (पारिवारिक समझौते) दिनांक 03.07.68 को अराजी मुतनाजा मुतालिक 1/6, 1/6 हिस्सेदारी दिनांक 24.07.75 की लिखावट मकानात_ के बंटवारे की व दिनांक 19.03.1981 का इकरारनामा/पारिवारिक समझौता कोई तकनीकि बाधा उत्पन्न न हो इसलिये उचित स्टांप पर तहरीर व तकमील कर बरूबरू गवाहान नोटेरी से तस्दीक करवाया गया व जिनकी रूह से पक्षकारो में यह तय हुआ कि उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वज हरिनारायण का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता श्रीनारायण का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 10 ता 16 पूवर्ज जगन्नाथ का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 17 का 1/6 हिस्सा रहेगा। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पिता श्रीनारायण की मृत्यु 10.03.2014 को होने के बाद श्रीनारायण के वारिसैन अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की नीयत में फितूर आ गया है, अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड में पारिवारिक समझौते के विपरित इंद्राज करा लिया है। जिसको प्रार्थीगण दुरूस्त करवाकर मुताबिक समझौता वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु उक्त वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्व रिकॉर्ड में हाल इन्द्राज के विरूद्व प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नही यह मूलवाद में निर्धारित किया जाने वाला बिन्दू है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। उक्त वर्णित दस्तावेजात से यह जाहिर है कि वादग्रस्त आराजियात का राजस्व रिकॉर्ड में नाम अप्रार्थीगण का है। हाल रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता प्रतीत नहीं होता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वादग्रस्त आराजी का रिकॉर्ड अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से, यदि रिकॉर्डेड खातेदार अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश से पाबन्द किया जाता है तो इस स्तर पर तुलनात्मक रूप से असुविधा व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण की न होकर अप्रार्थीगण की होना सम्भावित है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा [illegible] किया जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। [illegible]

पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.02.10 16:18:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner